राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

कमांकः पः ५(३)नविवि / ३ / ९९

जयपुर दिनांकः- - 6 SEP 2007

परिपत्र

विषय:-- कृषि भू में पर बसी हुई आवासीय कॉलोनीयों के नियमन हेतु सामान्य पैरागीटर्स में शिथिलन बाबत।

जयगुर शहर एवं राज्य में अन्य नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों को नियमित किए जाने की दृष्टि से राज्य विधियां संशोधन अधिनियम—1999 पारित किया जाकर भू-राजस्य अधिनियम 1956, राजस्थ न काश्तकारी अधिनियम 1955, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनि ।म 1959 में संशोधन किये गये। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियय 1956 में दिन क 17.06.1999 को किए गए संशोधन के उपरान्त इस विमाग द्वारा दिनांक 10.07.1998 व इसके पश्चात् नियमन प्रक्रिया के तहत् विभिन्न आदेश / परिपत्र जारी किए गए। दिनांक 17.06.1999 को राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 में लिए गए संशोधन तथा उसके पश्चात् नियमन हेतु जारी विभिन्न आदेश / परिपत्र जारी किए गए संशोधन तथा उसके पश्चात् नियमन हेतु जारी विभिन्न आदेश / परिपत्र के बावजूद पूर्व की मृजित बहुत-सी कॉलोनियाँ निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गहीं होने के कारण उनका नियमन नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त वर्णित समस्या के कारण जिंद्रा क्षेत्र में तथा सम्पूर्ण राज्य के अन्य स्थानीय निकाय क्षेत्रों में काफी कॉलोनियों के नियमन का कार्य अवरुद्ध है। चूंकि उक्त कॉलोनियों मौंके पर काफी लम्बे समय से आबाद है, ऐसी स्थिति में व्यवहारिक रूप से इन्हें मौंके पर से हटाये जाने की बजाय मापदण्डों में उचित सीमा तक रेशिवता प्रदान कर नियमन किया जाना उचित होगा, ताकि इनके नियमन से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके तथा सुनियोजित ढंग से विकास कार्य करवाये जा सके।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 में दिनांक 1706.1999 का संशोधन किया जाकर धारा-90बी जोड़ने के उपरान्त नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपन्न दिनांक 11.01.2002, 06.07.2002, 28.09.2002 एवं इसके पश्चात् समय-समय पर जारो परिपन्नों के आंशिक अधिकमण में वर्तमान प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है कि:-

(i) ज्यपुर विकास प्राधिकरण, समस्त न्यास क्षेत्रों तथा अन्य समस्त स्थानीय निकाय क्षेत्रों में समान रूप से आगासीय तथा सुविद्या क्षेत्र के गैरामीटर्स में सिधिलता दो ज कर 76:25 अर्थात् 75 प्रतिशत तक अधिकतम विकय योग्य क्षेत्रफल तथा 25 प्रतिशत सङ्क, पार्क आदि सुविधा क्षेत्र की सीमा

1

9

B. C.

0 \bigcirc 0 0 तक नियम। किया जावें। परन्तु इसमें शर्त यह रहेगी कि 70 से 75 0 पतिशत तक आवासीय क्षेत्रफल वाली योजनाओं का नियमन संबंधित () निकाय द्वारा प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार की पूर्वानुमति से किया जावेगा। 70 प्रतिशत से कम आवासीय क्षेत्र वाली 1 () योजनाएं / कालो नेयां संबंधित स्थानीय निकाय अपने रतार पर निर्णय कर 0 नियमन कर सक्ते। (0 उपरोक्त शिथित ।। उन कॉलोनियों पर लागू होगी-() (अ) जिन योजनाओं / कालोनियों में दिनांक 22.10.99 से पूर्व 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका है। (निर्माण का साक्य, 0 बिजली एवं पानी के बिल प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा।) 1) 0 एवम 0 0 जयपुर, जोधपुर एवं कोटा नगर निगम क्षेत्रों, समस्त न्यास क्षेत्रों 0 एवं प्रथम श्रेणी की नगर परिषद कोत्रों में आन्तरिक सड़कों की 0 न्यूनतम मौड़ाई 30 फीट रखी जावेगी। द्वितीय श्रेणी की नगर पतिका क्षेत्रों में आन्तरिक भड़कों की न्यूनतम चौडाई 25 फीट 0 0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका क्षेत्रों में आन्तरिक 0 0 सड़कों की न्यूनतम चौडाई 20 फीट आवश्यक रूप से रखी 0 0 जावेगी। जिन गृह निर्माण समितियों / क्रॉलोनाईजर्स द्वारा बदनियति से राजकीय 0 0 मूरि एवं सुविधा क्षेत्र पर पद्टे काट दिये गये है उनके विरूद O नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट जयपुर विकास प्राधिकरण एवं संबंधित नगर सुधार न्यास/नगर निगम/पालिका/परिषद् द्वारा पुलिस में दर्ज 0 0 कराने की कार्यवाही की जावें। 0 0 0 1) (परविन्दर सिंह) 0 प्रमुख शासन सचिव () प्रतिलिपिः 0 3 निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर। 1. निजी सचिव, मा राज्यमंत्री, नगरीय विकास विमाग, जयपुर। 2. -0 निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर। 3. 0 0 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर। 4. 0 0 निजी सचिव, शासन सचिव, खायत्त शासन विमाग, जयपुर। 5. सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल, 6. 0 नेदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर। 7. मचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)। ()

शासन उप सचिव-प्रथम

0

0

0

0

0

0

4>

(6)

रक्षित पन्नाटली :